

दिनांक	आज्ञा पत्र	तारीख
--------	------------	-------

24/2/21

पञ्जावली अपीलार्थ के प्रार्थना पत्र पर तत्काल का आदेश।

अपीलार्थ ने जीम्मे लेकीया एक प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि पत्रकारों के मध्य राजीनामा हो चुका अब अपीलार्थ अपील नहीं चलाया जाता है।

अपीलार्थ के निवेदन पर अपीलार्थ अपीलार्थ अपील नहीं चलाने पर यह अपील खारिज की जाती है।

पञ्जावली बाद तारीख तकमील डाकबिल देकर ही निर्णय सुनाया गया।

*(Signature)*

सुप्रबन्ध अधिकारी एवं  
पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
सीकर (कैम्प बुन्दुबुन्)